के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

अर्द्धशा0पत्रसंख्या- 1232/43-2-2008
उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
लखनऊः दिनांक 25 नवम्बर, 2008,

प्रिय महोदय,

विश्वबैंक से प्रस्तावित डेवलपमेन्ट पॉलिसी लोन के सम्बन्ध में कृपया सचिव, वित्त के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–बी–1–3907/दस–2008, दिनांक 17–11–2008 तथा इसी संदर्भ में दिनांक 18 नवम्बर, 2008 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में यह निर्देश दिए गये हैं कि आपके विभाग द्वारा तथा आपके नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरण (Public Authorty) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 मैनुअल्स की सूचना अगले 15 दिनों में विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करायी जाय, इसका सतत् अनुश्रवण प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाय। इसकी समीक्षा 15 दिनों के पश्चात मुख्य सचिव स्तर पर पुनः की जायेगी।

अतः कृपया उक्त बैठक में दिए गये निर्देशानुसार अधिनियम की धारा–4(1)(बी) के अंतर्गत अपने विभाग तथा नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरण की 16 मैनुअल्स की सूचना अगले 15 दिन के अन्दर अपनी विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

1–श्री जैकब थॉमस,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
खाद्य एवं रसद विभाग।

......2/–

2—श्री देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समाज कल्याण विभाग।

3—श्री आर0एस0 वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

संख्या— 1232(1)/43—2—2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) प्रतिलिपि स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

(2) सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

(3) संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया मुख्य सचिव के निर्देशानुसार प्रतिदिन उक्त विभागों की बेवसाइट पर जाकर अपलोड की गयी सूचना का अनुश्रवण करें तथा निर्धारित प्रारूप पर प्रगति विवरण प्रतिदिन मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।